

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छोगो)
ईमेल—secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक १७/०५/२५

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2023/ 140 “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/114 दिनांक 29.01.2022 के कण्डिका (च) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (3) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :—

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :—

(च) योजना की पात्रता :—

(3) पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे के स्थान पर

“पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे” अंतः स्थापित किया जाता है।”

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छोगो शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

9
१७/०५/२५
(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां० क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2023/४८-१०२ अटल नगर, दिनांक १७/०५/२५
प्रतिलिपि :—

- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छोगो शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छोगो)।
- निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छोगो)।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छोगो)।

4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

✓
६/१२/४/२०२३
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छोगो)
ईमेल—secretary-bocw@cg.gov.in, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक १२/०५/२०२२

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/118:— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/114 दिनांक 29.01.2022 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :—

(च) योजना की पात्रता :—

4. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो, को अधिक्रमित करते हुए

“पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष हो तथा अधिकतम् 21 वर्ष से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो”

(छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि — आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष एवं अधिकतम् 18 वर्ष 06 माह पूर्ण होने की तिथि के भीतर प्रस्तुत की जावेगी को अधिक्रमित करते हुए

“आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि — आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से न्यूनतम् एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष एवं अधिकतम् 21 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के भीतर प्रस्तुत की जावेगी”

उपरोक्त योजना में संशोधन दिनांक 01.05.2022 से प्रभावशील होगी।
(छोगो शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, अटल नगर
निरंतर.....2

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ०ग० शासन, मुख्यमंत्री सचिवाल मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अटल नगर नवा रायपुर (छ०ग०)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
7. कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मण्डल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ०ग०)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाये इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ०ग०)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ०ग०)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ०ग०)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ०ग०)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ०ग०)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
16. एन0आई0सी0 भाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।



सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल स्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

ईमेल— secretary-boCW@cg.gov.in, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29/01/2022

क्रमांक /46/ 04/योजना/बीओसी/2022/114 :— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ राज्य शासन, एतद द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” बनाती है:—

(क) योजना का नाम :—

योजना का नाम “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :—

इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि का उपयोग हितग्राही की पुत्री अपने शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने आदि में तथा पुत्री के विवाह हेतु किया जा सकेगा।

(ग) योजना का प्रावधान :—

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि का भुगतान हितग्राही के पुत्री के खाते में एकमुश्त किया जावेगा।

(घ) योजना में देय हितलाभः—

इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।

(च) योजना की पात्रता :—

1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मण्डल में पंजीकृत ना हो।
3. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे।

4. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो।
5. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
6. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता हो।
7. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो।
8. प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा।
9. जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मण्डल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना/राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे।

(छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा।
2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि – आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष एवं अधिकतम् 18 वर्ष 06 माह पूर्ण होने की तिथि के भीतर प्रस्तुत की जावेगी।
4. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ :–
 - 4.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति।
 - 4.2 हितग्राही की पुत्री के आधार कार्ड की प्रति।
 - 4.3 हितग्राही की पुत्री के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हितग्राही की पुत्री का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
 - 4.4 हितग्राही की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के संबंध में (जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं की अंकसूची) की प्रमाण पत्र की प्रति।
 - 4.5 हितग्राही की पुत्री के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
 - 4.6 नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति।
- विशेष –सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे टीप :– ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज़ ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
5. सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ सत्यापन की रिपोर्ट/प्रतिवेदन की मूल प्रति ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

(ज) स्वीकृति का अधिकार :—

संबंधित जिले के श्रम कार्यालय के श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदन सत्यापन उपरांत सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जावेगा।

(झ) भुगतान की प्रक्रिया :—

आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही की पुत्री के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।

(ट) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(ठ) योजना का प्रभावशीलन :—

यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छोगो शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(राजेश कुमार पात्रा)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मण्डल, अटल नगर

पृष्ठां^० क्रमांक /46/04/योजना/बीओसी/2022/३३४/३५० नवा रायपुर, दिनांक २९/१/२२
प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छोगो शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छोगो)।
- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छोगो शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छोगो)।
- निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लाक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर (छोगो)।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छोगो) को आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/129/2022/16 दिनांक 29.01.2022 में प्राप्त निर्देश के परिपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छोगो)।
- प्रभारी अधिकारी, छोगो असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छोगो)।
- कल्याण आयुक्त, छोगो श्रम कल्याण मण्डल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छोगो)।

8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
17. गार्ड फाईल।



छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर